

**परिपत्र / Circular**

प्रति / To,

सभी साधारण और स्वस्थ बीमाकर्ता / All General and Health insurers,

**विषय: (क) स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम और (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल (वेट) हस्ताक्षर समाप्त करने के लिए समय-सीमाओं का विस्तार**

**Re: Extension of timelines for (a) Issuance of Electronic Policies and (b) Dispensing with Physical documents and wet signature on the proposal form in respect of health insurance policies**

1. स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम तथा (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल (वेट) हस्ताक्षर को समाप्त करने के संबंध में परिपत्र संदर्भ सं. आईआरडीएआई/ एचएलटी/ आरईजी/ सीआईआर/ 235/ 09/20 दिनांक 10 सितंबर 2020 और संदर्भ सं. आईआरडीएआई/ एचएलटी/ आरईजी/ सीआईआर/062/03/ 2021 दिनांक 24 मार्च 2021 की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

Reference is drawn to the Circulars Ref No: IRDAI/HLT/REG/CIR/235/09/20 dated 10<sup>th</sup> September,2020 and Ref No: IRDAI/HLT/REG/ CIR/062/03/2021 dated 24<sup>th</sup> March, 2021 on (a) Issuance of Electronic policies and (b) dispensing with physical signatures and wet signature on the proposal form in respect of health insurance policies.

2. कोविड-19 महामारी की लगातार बनी हुई परिस्थिति को देखते हुए इसमें संदर्भित परिपत्र दिनांक 10 सितंबर 2020 के खंड सं. 5 में आंशिक आशोधन करते हुए स्वास्थ्य बीमा पालिसियों के संबंध में (क) इलेक्ट्रॉनिक पालिसियों के निर्गम तथा (ख) भौतिक दस्तावेजों और प्रस्ताव फार्म पर तरल (वेट) हस्ताक्षर को समाप्त करने के लिए समय-सीमाओं को 31 मार्च 2022 तक बढ़ाया गया है।

In view of the continuing situation of Covid-19 pandemic, in partial modification of Clause No. 5 of the within referred circular dated 10<sup>th</sup> September, 2020 the timelines for (a) Issuance of electronic policies and (b) dispensing with physical signatures and wet signature on the proposal form in respect of health insurance policies, stand extended up to 31<sup>st</sup> March,2022.

3. ऊपर संदर्भित परिपत्र दिनांक 10 सितंबर 2020 के सभी अन्य उपबंध अपरिवर्तित रहेंगे।  
All other provisions of the above referred circular dated 10<sup>th</sup> September, 2020 remain unchanged.
4. इसे सक्षम प्राधिकारी का अनुमोदन प्राप्त है।  
This has approval of the competent authority.

हस्ता./- Signed

(डी वी एस रमेश / D V S Ramesh)

महाप्रबंधक (स्वास्थ्य) / General Manager (Health)

